राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

कमांक एफ 27 (16) ग्रावि/अनु–5/अन्य चिन्हित वर्ग/2016–17 जयपुर, दिनांक 23 अगस्त, 2016

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद्, (ग्रा.वि.प्र.),
समस्त, राजस्थान।

विषयः– "अन्य चिन्हित वर्ग आवास योजना" में वर्ष 2016–17 के लक्ष्यों के कम में।

प्रसंग :– विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 28.06.2016 के कम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्रामीण क्षेत्र के आवासहीन व कच्चे आवास में निवास कर रहे पक्का आवास उपलब्ध कराने हेतु अनुदान की योजना इन्दिरा आवास योजना को सुदृढीकृत कर प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण 01 अप्रेल 2016 से प्रारम्भ की गई है। जिसके अन्तर्गत SECC-2011 के आंकडों में आवासहीन, एक कमरा कच्चा आवास एवं दो कमरा कच्चा आवास के परिवारों को वरीयता के अनुसार लाभान्वित किया जाना है। जिसमें अन्य चिन्हित वर्ग आवास योजना में शामिल सर्वे के परिवार भी सम्मिलित होने की पूर्ण सम्भावना है। इस कम में प्रासगिक पत्र द्वारा "अन्य चिन्हित वर्ग आवास योजना" वर्ष 2016–17 के अन्तर्गत पंजीयन स्वीकृति जारी करना एवं किश्त हस्तांतरण करने की प्रकिया को स्थगित करने के जारी निर्देशों के कम में पुनः निर्देश है कि अन्य चिन्हित वर्ग आवास योजनान्तर्गत वर्ष 2016–17 हेतु आवंटित लक्ष्यों को शून्य मानते हुए, स्वीकृति की कार्यवाही नही की जावें। यदि पूर्व में आवंटित लक्ष्यों के कम में कोई स्वीकृति जारी की गई है, तो तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया जावें।

अतः "अन्य चिन्हित वर्ग आवास योजना" अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में लक्ष्यों को शून्य मानकर कोई स्वीकृति नही जारी की जावे। इसी कम में योजनान्तर्गत वर्ष 2015–16 में स्वीकृत आवासों को योजनान्तर्गत लक्ष्यानुसार प्रावधित हस्तांतरित राशि से चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में ही आवश्यक रूप से पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करावें।

23.8.2016
(सुदर्शन सेठी)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. संयुक्त सचिव (एलटी), मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पचायती राज विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
7. जिला कलेक्टर, समस्त।
8. रक्षित पत्रावली।

अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि